

12.03.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता एवं प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा तीन-तीन बार आवाज लगवाई गई लेकिन प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए एवं न ही प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।



(शुभम चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही

